



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 291]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 2, 2011/ज्येष्ठ 12, 1933

No. 291]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 2, 2011/JYAISTHA 12, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2011

सा.का.नि. 427(अ).— केन्द्र सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 266क, 266ख तथा 266ड. के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (i) के खंड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा कम्पनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम, 2006 संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है. नामतः:-

1. संक्षिप्त नाम एवं लागू होने की तारीख

- (1) इन नियमों को कम्पनी निदेशक पहचान संख्या (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 कहा जाएगा।
- (2) ये नियम 12 जून, 2011 से प्रभावी होंगे।

2. नियम 3 में, -

- (i) उप-नियम (3), पैरा (ख) में 'प्रपत्र' शब्द के पश्चात् 'सकता है' शब्द को 'करेगा' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) उप-नियम (3), पैरा (ख) में 'कम्पनी में पूर्णकालिक नियुक्ति' शब्दों के पश्चात् 'या प्रबंधक निदेशक या कम्पनी के निदेशक द्वारा जिसमें आवेदक निदेशक नियुक्त होने का इच्छुक है' शब्दों का लोप किया जाएगा।
- (iii) उप-नियम (3), में पैरा (घ) का लोप किया जाएगा।

3. नियम 4 में, पैरा (ख) को निम्नलिखित पैरा (ख) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"(ख) शुल्क की सफल अदायगी के पश्चात्, प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद, उन मामलों को छोड़कर जहां संभाव्य अनुलिपि की पहचान की गई हो, तंत्र स्वतः ही अनुमोदित डीआईएन जारी करेगा। संभाव्य अनुलिपि के मामले में, तंत्र द्वारा अनंतिम डीआईएन जारी किया जाएगा।"

4. नियम 7 में, -

(i) उप नियम (2), पैरा (ख) में प्रपत्र शब्द के पश्चात् 'आवश्यक है' शब्दों को 'करेगा' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) उप नियम (2), में पैरा (ख) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा (ग) समाविष्ट किया जाएगा, नामतः -

"(ग) प्रपत्र पर कम्पनी के पूर्णकालिक कम्पनी सचिव द्वारा भी डिजीटल रूप में हस्ताक्षर किया जा सकता है"

(iii) उप नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम समाविष्ट किया जाएगा, नामतः -

"(4) प्रपत्र संख्या डीआईएन 4 को सफलता से अपलोड करने के पश्चात् प्रक्रिया पूर्ण कर लेने पर तंत्र मंत्रालय में रखे गए डीआईएन डाटावेस में निदेशक को विवरणों में स्वतः ही परिवर्तन कर देगा, उन मामलों को छोड़कर जहां संभावित अनुलिपि की पहचान की गई हो। संभाव्य अनुलिपि के मामलों में, केन्द्र सरकार, नियम 3 उप नियम 6, 7 एवं 8 में दी गई अनंतिम डीआईएन के मामलों में अपनाए जाने वाली प्रक्रिया के अनुरूप आवेदन की जांच करेगी।"

5. प्रपत्रों डीआईएन-1 एवं डीआईएन-4 हेतु निम्नलिखित प्रपत्र प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामतः:-

“फार्म संख्या डीआईएन 1

निदेशक पहचान संख्या के
आवंटन हेतु आवेदन पत्र[देखें कम्पनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम,
2006 का नियम 3(1)]

टिप्पणी - *चिह्नित सभी फील्ड भरना अनिवार्य है।

- भारत के नागरिकों के मामले में आयकर स्थाई खाता संख्या (आयकर पैन) आवश्यक है और ऐसे मामले में आवेदक का विवरण आयकर पैन के अनुरूप होना चाहिए। यदि आयकर पैन के अनुसार विवरण सही न हों तो आवेदक को पहले आयकर पैन में विवरण सही करने का परामर्श दिया जाता है।

विवरण हेतु निदेश पुस्तिका देखें।

-विदेशी नागरिकों हेतु पासपोर्ट संख्या आवश्यक है।

1. *आवेदक का नाम (पूरा नाम दें और संक्षिप्तियों का प्रयोग न करें)

(क) पहला नाम

फोटोग्राफ

(ख) अंतिम नाम

(ग) मध्य नाम

2. *पिता का नाम (विवाहित महिलाएं भी पिता का नाम दें)

(क) पहला नाम

(ख) अंतिम नाम

(ग) मध्य नाम

(उपर्युक्त खाने में क्लिक करके
अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज
फोटोग्राफ लगाएं) (विस्तृत विवरण
हेतु निदेश पुस्तिका देखें)

फोटोग्राफ हटाएं

3. *क्या भारत के नागरिक हैं हां नहीं

4. राष्ट्रियता 5. *जन्म तिथि (तारीख/माह/वर्ष)

6. *लिंग पुरुष महिला 7. जन्म का स्थान

8. आयकर स्थायी खाता संख्या..... (आयकर पैन विवरण प्रमाणित कराएं)

9. वोटर की पहचान कार्ड संख्या

10. पासपोर्ट संख्या

11. ड्राइविंग लाइसेंस संख्या

12. स्थायी रिहायशी पता

*लाइन I

लाइन II

*शहर

*राज्य *पिन कोड

*आईएसओ देश कोड

देश

दूरभाष *मोबाइल फैक्स

*ई-मेल आईडी

13. *क्या वर्तमान रिहायशी पता स्थायी रिहायशी पता ही है ० हां ० नहीं

14. वर्तमान रिहायशी पता

*लाइन I

लाइन II

*शहर

*राज्य *पिन कोड

*आईएसओ देश कोड

देश

दूरभाष फैक्स

प्रमाणन

*० एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि संलग्न फोटोग्राफ एवं दस्तावेज आवेदक के हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सभी अपेक्षित संलग्नक इस आवेदन के साथ पूर्ण रूप से संलग्न किए गए हैं।

*० यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैंने आवेदक के उपरोक्त विवरण उसके मूल दस्तावेजों से सत्यापित कर लिए हैं। उन्हें सत्य, सही एवं मूल दस्तावेजों के अनुरूप पाया है।

*० यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक ने निम्नलिखित के संबंध में सत्यापन भी प्रस्तुत किया है एवं सत्यापन की प्रति डीआईएन नियम के अनुलग्नक-1 के अनुसार संलग्न की गई है-

*० आवेदक को कंपनी अधिनियम की धाराओं 203, 274, 284 एवं 388(ड) सहित कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के तहत किसी कंपनी के निदेशक नियुक्त होने हेतु निषेध नहीं किया गया है/अयोग्य नहीं ठहराया गया है/हटाया नहीं गया है।

*० आवेदक को आर्थिक अपराध न्यायालय या न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उद्-घोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है।

*० आवेदक को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 266ख के तहत निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) आबंटित नहीं किया गया।

*O मुझे आवेदक द्वारा आवेदन पर हस्ताक्षर करने एवं उसे जमा करने हेतु विधिवत रूप से प्राधिकृत किया गया है।

संलग्नक (विवरण के लिए निदेश देखें)

संलग्नकों की सूची

- | | |
|---|---------------|
| 1. आवेदक की पहचान का प्रमाण | (संलग्न करें) |
| 2. आवेदक की रिहायश का प्रमाण | (संलग्न करें) |
| 3. आवेदक द्वारा सत्यापन की प्रतिलिपि
डीआईएन नियम के अनुलग्नक-1 के अनुसार | (संलग्न करें) |
| 4. वैकल्पिक संलग्नक - यदि हों | (संलग्न करें) |

संलग्नक हटाएं

डिजिटल हस्ताक्षर करें

*श्रेणी

चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा कम्पनी सचिव अथवा लागत लेखाकार के मामले में (पूर्णकालिक व्यवसायरत)

(पूर्णकालिक व्यवसायरत) चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा कंपनी सचिव अथवा लागत लेखाकार की सदस्यता संख्या अथवा प्रैक्टिस संख्या का प्रमाण-पत्र

एसोसिएट अथवा फैलो एसोसिएट फैलो

वर्तमान कंपनी जिसमें आवेदक निदेशक बनने हेतु प्रस्तावित है में पूर्ण कालिक सचिव (जो आईसीएसआई का सदस्य है) के मामले में

सचिव की सदस्यता संख्या.....

एसोसिएट अथवा फैलो एसोसिएट फैलो

सचिव जिस कंपनी से संबंधित है और जिसमें आवेदक निदेशक बनाए जाने हेतु प्रस्तावित है उस कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या पहले से भरा हुआ

कंपनी का नाम

.....

संशोधन

चैक फार्म

पूर्वसंवीक्षा

प्रस्तुत

यह ई फार्म केन्द्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड से रिकॉर्ड पर लिया गया है और फार्म भरते समय आवेदक द्वारा दिए गए सत्य विवरण पर आधारित है

**डीआईएन नियमों के अनुलग्नक-1 के अनुसार फार्म डीआईएन-1 के मामले में आवेदक का
सत्यापन**

मैं (आवेदक का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री (आवेदक के पिता का नाम) जन्म तिथि पता (आवेदक का वर्तमान रिहायशी पता) एतद् द्वारा पुष्टि एवं सत्यापित करता हूँ कि डीआईएन-1 फॉर्म में दिया गया विवरण सत्य एवं सही है तथा डीआईएन-1 फार्म के साथ संलग्न प्रपत्र के अनुरूप है।

मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि

- (i) डीआईएन-1 फार्म में लगाया गया फोटोग्राफ एवं प्रपत्र मेरे हैं। मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि सभी अपेक्षित प्रपत्र संबंधित सरकारी प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित हैं एवं डीआईएन-1 फार्म के साथ संलग्न किए जा रहे हैं तथा
- (ii) कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों एवं उक्त अधिनियम की धाराओं 203, 274, 284 एवं 388(ड) के तहत मुझे किसी कंपनी का निदेशक नियुक्त होने से निषेध नहीं किया गया है/अयोग्य नहीं ठहराया गया है/हटाया नहीं गया है तथा
- (iii) मुझे किसी आर्थिक अपराध न्यायालय अथवा न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उद्-घोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है तथा
- (iv) मुझे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 266ख के तहत निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) पहले आवंटित नहीं किया गया है।
- (v) श्री/सुश्री.....(प्रेक्टिसरत चार्टर्ड अकाउंटेंट/कंपनी सचिव/लागत लेखाकार) को मैंने अपनी ओर से डीआईएन आवेदन पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया है।

नोट: जो लागू न हो उसे काट दें।

हस्ताक्षर:
(नाम)

फार्म संख्या डीआईएन 4निदेशक के विवरण में परिवर्तन की केन्द्र
सरकार को दी जाने वाली सूचना[देखें कम्पनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम,
2006 का नियम 7]

टिप्पणी - *चिह्नित सभी फील्ड भरना अनिवार्य है।

- भारत के नागरिकों के मामले में, सभी मामलों में आयकर स्थायी खाता नाम (आयकर पैन) अनिवार्य है चाहे आयकर पैन में कोई परिवर्तन भी हुआ हो। ऐसे मामलों में निदेशक विवरण आयकर पैन के अनुसार होने चाहिए। यदि आयकर पैन के अनुसार विवरण सही न हों तो निदेशक को पहले आयकर पैन में विवरण सही करने का परामर्श दिया जाता है। विवरण के लिए निदेश देखें।

1. (क) *निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) पहले से भरा हुआ
(ख) नाम

2. *परिवर्तन के प्रकार


- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> निदेशक का नाम | <input type="checkbox"/> पिता का नाम | <input type="checkbox"/> राष्ट्रियता |
| <input type="checkbox"/> जन्म तिथि | <input type="checkbox"/> लिंग | <input type="checkbox"/> आयकर पैन संख्या |
| <input type="checkbox"/> मतदाता पहचान-पत्र संख्या | <input type="checkbox"/> पासपोर्ट संख्या | <input type="checkbox"/> ड्राइविंग लाइसेंस संख्या |
| <input type="checkbox"/> ई-मेल आईडी/मोबाइल | <input type="checkbox"/> स्थाई रिहायशी पता | <input type="checkbox"/> वर्तमान रिहायशी पता |

वही सूचना भरें जिसे ठीक किया जाना है। केवल संबंधित फील्ड भरें।

3. निदेशक का नाम (पूरा नाम भरें तथा संक्षिप्तियों का प्रयोग न करें)

- (क) पहला नाम
- (ख) अंतिम नाम
- (ग) मध्य नाम

फोटोग्राफ



4. पिता का नाम (विवाहित महिलाएं अपने पति का नाम दें)

- (क) पहला नाम
- (ख) अंतिम नाम
- (ग) मध्य नाम

(उपर्युक्त खाने में अपनी नवीनतम
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाएं)
(विवरण के लिए निदेश देखें)

5. *क्या भारत के नागरिक हैं हां नहीं

फोटोग्राफ हटाएं

6. राष्ट्रियता

7. जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष)

8. लिंग पुरुष महिला

9. आयकर स्थायी खाता संख्या (आयकर पैन)
(आयकर पैन विवरण प्रमाणित कराएं)

10. वोटर की पहचान कार्ड संख्या

11. पासपोर्ट संख्या

12. ड्राइविंग लाइसेंस संख्या

13. *मोबाइल

14. ई-मेल आईडी.....

15. स्थायी रिहायशी पता

लाइन I

लाइन II

शहर

राज्य पिन कोड

आईएसओ देश कोड

देश

दूरभाष फैक्स

16. क्या स्थायी रिहायशी पता ही वर्तमान रिहायशी पता है हां नहीं

17. वर्तमान रिहायशी पता

लाइन I

लाइन II

शहर

राज्य पिन कोड

आईएसओ देश कोड

देश

दूरभाष फैक्स

प्रमाणन

*O एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि संलग्न फोटोग्राफ और संलग्न दस्तावेज निदेशक के हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रपत्र के साथ सभी अपेक्षित संलग्नक लगाए गए हैं।

*O यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैंने निदेशक के उपर्युक्त विवरणों की निदेशक के मूल दस्तावेजों से जांच की है। मैंने उन्हें सत्य और सही तथा संलग्न दस्तावेजों के अनुरूप पाया है।

*O यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निदेशक ने निम्नलिखित के संबंध में सत्यापन दिया है और डीआईएन नियमों के अनुलग्नक-2 के अनुसार निदेशक द्वारा दिए गए सत्यापन की प्रति संलग्न है-

*O निदेशक को कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों जिनमें उक्त अधिनियम की धारा 203, 274, 284 तथा 388(ड) शामिल हैं, के अंतर्गत कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से निषेध/अयोग्य/हटाया नहीं गया है।

*O निदेशक को किसी आर्थिक अपराध न्यायालय अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय द्वारा उद्-घोषित अपराधी घोषित नहीं गया है।

*O निदेशक को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 266ख के तहत आवंटित डीआईएन, जिसमें परिवर्तन सूचित किए जा रहे हैं, के अतिरिक्त अन्य कोई डीआईएन आवंटित नहीं किया गया है।

*O मुझे इस फार्म पर हस्ताक्षर करने व इसे प्रस्तुत करने के लिए निदेशक द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया गया है।

संलग्नक**संलग्नकों की सूची**

- | | |
|---|---------------|
| 1. *विवरण में परिवर्तन का प्रमाण | (संलग्न करें) |
| 2. *निदेशक द्वारा सत्यापन की प्रति
डीआईएन नियमों के अनुलग्नक-2 के अनुसार | (संलग्न करें) |
| 3. वैकल्पिक संलग्नक - यदि हों | (संलग्न करें) |

संलग्नक हटाएं

डिजिटल हस्ताक्षर किए जाने हेतु

*श्रेणी

.....

चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा कम्पनी सचिव अथवा लागत लेखाकार के मामले में (पूर्णकालिक व्यवसायरत)

(पूर्णकालिक व्यवसायरत) चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा कंपनी सचिव अथवा लागत लेखाकार की सदस्यता संख्या अथवा प्रैक्टिस संख्या का प्रमाण-पत्र

एसोसिएट अथवा फैलो

एसोसिएट

फैलो

वर्तमान कंपनी जिसमें आवेदक निदेशक बनने हेतु प्रस्तावित है में पूर्ण कालिक सचिव (जो आईसीएसआई का सदस्य है) के मामले में

वर्तमान कंपनी में पूर्णकालिक रूप से नियुक्त सचिव की सदस्यता संख्या.....

एसोसिएट अथवा फैलो

एसोसिएट

फैलो

उस कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) जिससे सचिव और निदेशक संबंधित हैं

कंपनी का नाम पहले से भरा हुआ

संशोधन

चैक फॉर्म

पूर्वसंवीक्षा

प्रस्तुत

यह ई फॉर्म केन्द्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड से रिकॉर्ड पर लिया गया है और फॉर्म भरते समय आवेदक द्वारा दिए गए सत्य विवरण पर आधारित है

डीआईएन नियम के अनुलग्नक-2 के अनुसार प्रपत्र डीआईएन-4 के मामले में निदेशक का सत्यापन

मैं (निदेशक का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री
(निदेशक के पिता का नाम) जन्म तिथि पता
..... (निदेशक का वर्तमान रिहायशी पता) एतद् द्वारा पुष्टि
एवं सत्यापित करता हूँ कि डीआईएन-4 फॉर्म में दिया गया विवरण सत्य एवं सही है
तथा डीआईएन-4 फॉर्म के साथ संलग्न प्रपत्र के अनुरूप है।

(i) मैंने निम्नलिखित परिवर्तन के लिए आवेदन किया है:-

- (क) निदेशक का नाम (प्रमाण सहित और नाम परिवर्तन के मामले में राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतिलिपि)
- (ख) पिता का नाम (प्रमाण सहित)
- (ग) राष्ट्रीयता (प्रमाण सहित)
- (घ) जन्म की तारीख (प्रमाण सहित और जन्म की तारीख में परिवर्तन के मामले में राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतिलिपि)

- (ड) लिंग (प्रमाण सहित)
- (च) आय कर स्थायी खाता संख्या (प्रमाण सहित)
- (छ) मतदाता पहचान पत्र संख्या (प्रमाण सहित)
- (ज) पासपोर्ट संख्या (प्रमाण सहित)
- (झ) ड्राइविंग लायसेंस संख्या (प्रमाण सहित)
- (ञ) ई-मेल पता/मोबाइल संख्या (घोषणा सहित)
- (ट) स्थायी रिहायशी पता (प्रमाण सहित)
- (ठ) वर्तमान रिहायशी पता (प्रमाण सहित)

मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि

- (i) डीआईएन-4 फॉर्म में लगाया गया फोटोग्राफ एवं प्रपत्र मेरे हैं। मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि सभी अपेक्षित प्रपत्र संबंधित सरकारी प्राधिकारी द्वारा विधिवत जारी किए गए हैं एवं डीआईएन-4 फॉर्म के साथ संलग्न किए जा रहे हैं तथा
- (ii) कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों एवं उक्त अधिनियम की धाराओं 203, 274, 284 एवं 388(ड) के तहत मुझे किसी कंपनी का निदेशक नियुक्त होने से निषेध नहीं किया गया है/अयोग्य नहीं ठहराया गया है/हटाया नहीं गया है तथा
- (iii) मुझे किसी आर्थिक अपराध न्यायालय अथवा न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उदघोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है तथा
- (iv) मैंने जिस डीआईएन में परिवर्तनों की सूचना दी है उसके अतिरिक्त मुझे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 266ख के तहत कोई अन्य निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) पहले आवंटित नहीं किया गया है।
- (v) श्री/सुश्री.....(प्रोक्टिसरत चार्टर्ड अकाउंटेंट/कंपनी सचिव/लागत लेखाकार) को मैंने अपनी ओर से डीआईएन आवेदन पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया है।

नोट: जो लागू न हो उसे काट दें।

हस्ताक्षर:

(नाम)

[फा. सं. 2/1/2011-सीएल-V]

जे. एन. टिक्कू, संयुक्त निदेशक

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 649(अ) दिनांक 19 अक्टूबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी एवं इसे सा.का.नि 258(अ) दिनांक 26 मार्च, 2011 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd June, 2011

G.S.R. 427(E).— In exercise of the powers conferred by clause (A) and (b) of sub-section (1) of section 642 read with sections 266A, 266B and 266E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Companies (Director Identification Number) Rules, 2006 namely:-

1. Short title and commencement

- (1) These rules may be called the Companies Director Identification Number (Second Amendment) Rules, 2011.
- (2) They shall come into force with effect from 12th June, 2011.

2. In rule 3,-

- (i) In sub-rule (3), para (b), the word 'can' after the words 'the form', shall be substituted by the word 'shall';
- (ii) In sub-rule (3), para (b), the words 'or by the Managing Director or Director of the company in which the applicant intends to be a Director' after the words 'full time employment of the company' to be deleted;
- (iii) In sub-rule (3), para (d) to be deleted.

3. For rule 4, para (b), the following para (b) shall be substituted, namely:-

“(b) after successful payment of fee, the system after processing, shall automatically generate the approved DIN, except for cases where potential

duplicates are identified. In potential duplicate cases, the provisional DIN shall be generated by the system.”

4. In rule 7,-

(i) In sub-rule (2), para (b), the word ‘needs’ after the word the form, shall be substituted by the word ‘shall’;

(ii) In sub-rule (2), after para (b), the following para (c) shall be inserted, namely:-

“(c) the form can also be digitally signed by a Company Secretary in full time employment of the company.”

(iii) For sub-rule (4), following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(4) after successful uploading of Form No. DIN-4, the system after processing, shall automatically incorporate the changes in the particulars of the Director in the DIN database maintained by the Ministry, except for cases where potential duplicates are identified. In potential duplicate cases, the Central Government, shall examine the application as per procedure adopted in case of provisional DIN as given in rule 3, sub-rule 6, 7 and 8.”

5. For Forms DIN-1 and DIN-4, the following Forms shall be substituted, namely:-

FORM NO. DIN-1**Application for allotment of Director Identification Number****[See Rule 3(1) of the Companies (Director Identification Number) Rules, 2006]****Note -**

- All fields marked in * are to be mandatorily filled.
- Income-tax Permanent Account Name (Income-tax PAN) is mandatory in case of Indian nationals and in such case applicant details should be as per Income-tax PAN. In case the details as per Income-tax PAN are incorrect, applicant is advised to first correct the details in Income-tax PAN. Refer instruction kit for details.
- In case of foreign nationals, Passport number is mandatory.

1. *Applicant's name (Enter full name and do not use abbreviations)

(a) First name

(b) Last name


(c) Middle name

2. *Father's name (Even married women must give father's name)

(a) First name

(b) Last name

(c) Middle name

Photograph

(Attach a latest passport size photograph by clicking on above box) (Refer instruction kit for details)

3. *Whether a citizen of India Yes No

Remove Photograph

4. Nationality

5. *Date of birth (DD/MM/YYYY)

6. *Gender Male Female

7. Place of birth

8. Income-tax permanent account number

Verify Income-tax PAN details

9. Voter's identity card number

10. Passport number

11. Driving license number

12. Permanent residential address

*Line I

Line II

*City

*State *Pin code

*ISO country code

Country

Phone *Mobile Fax

*e-mail ID

13. *Whether present residential address is same as permanent residential address Yes No

14. Present residential address

Line I

Line II

City

State Pin code

ISO country code

Country

Phone Fax

Certification

- It is hereby certified that the attached photograph and attached documents are of the applicant. It is further certified that all required attachments have been completely attached to this application.
- It is further certified that I have verified the above particulars of the applicant from the original documents of the applicant. I found them to be true and correct and are also in agreement with the attached documents.
- It is further certified that the applicant has given a verification in respect of the following and copy of verification by the applicant as per Annexure - 1 of the DIN Rules has been attached -
- the applicant is not restrained/ disqualified/ removed of, for being appointed as director of a company under the provisions of Companies Act, 1956 including Sections 203, 274, 284 and 388(E) of the said Act.
 - the applicant has not been declared as proclaimed offender by any Economic Offence Court or Judicial Magistrate Court or High Court or any other Court.
 - the applicant has not been allotted a Director Identification Number (DIN) under section 266B of the Companies Act, 1956.
- I have been duly authorised by the applicant to sign and submit this application.

Attachments (Refer instruction kit for details)**List of attachments**

1. * Proof of identity of applicant
2. * Proof of residence of applicant
3. * Copy of verification by the applicant as per Annexure - 1 of the DIN Rules
4. Optional attachment(s) - if any

Attach

Attach

Attach

Attach

Remove attachment

To be digitally signed by

*Category

In case of Chartered accountant or Company secretary or Cost accountant (in whole- time practice)

Membership number or certificate of practice number of Chartered accountant or Company secretary or Cost accountant (in whole- time practice)

Whether associate or fellow Associate Fellow

In case of secretary (who is member of ICSI), in whole time employment of existing company in which the applicant is proposed to be a director

Membership number of the secretary

Whether associate or fellow Associate Fellow

Corporate identity number (CIN) of company with which secretary is associated and in which applicant is proposed to be a director

Name of company

Pre-fill

Modify

Check Form

Prescrutiny

Submit

This eForm has been taken on record by the Central Government through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the person filing the form

Verification of applicant in case of Form DIN-1 as per Annexure 1 of the DIN rules

I,(name of applicant), Son/Daughter* of
.....(applicant's father's name), born on(date of
birth), resident of(present
residential address of the applicant) hereby confirm and verify that the
particulars given in the Form DIN-1 are true and correct and also are in
agreement with the document being attached to the Form DIN-1.

I further confirm that

- (i) The photograph and document being attached to the Form DIN-1 belong to me. I further confirm that all required documents have been duly certified by the respective government authority and are being attached to the Form DIN-1 and
- (ii) I am not restrained/ disqualified/ removed of, for being appointed as director of a company under the provisions of Companies Act, 1956 including Section 203, 274, 284 and 388 (E) of the said Act and
- (iii) I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Offence Court or Judicial Magistrate Court or High Court or any other Court and
- (iv) I have not been already allotted a Director Identification Number (DIN) under Section 266B of the Companies Act, 1956.
- (v) Mr/ Ms CA/ CS/ CWA in practice has been authorised to digitally sign DIN application on my behalf.

*Note: Strike out whichever is not applicable.

Signature:
(Name)

FORM NO. DIN-4**Intimation of change in particulars of Director
to be given to the Central Government****[See Rule 7 of the Companies (Director
Identification Number) Rules, 2006]****Note -****- All fields marked in * are to be mandatorily filled.****- In case of Indian nationals, Income-tax Permanent Account Name (Income-tax PAN) is mandatory in all cases even if there is no change in Income-tax PAN. In such cases, director details should be as per Income-tax PAN. In case the details as per Income-tax PAN are incorrect, director is advised to first correct the details in Income-tax PAN. Refer instruction kit for details.**

1.(a) *Director Identification Number (DIN)

Pre-filled

(b) Name

2. * Type of change:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Director Name | <input type="checkbox"/> Father's name | <input type="checkbox"/> Nationality |
| <input type="checkbox"/> Date of birth | <input type="checkbox"/> Gender | <input type="checkbox"/> Income-tax PAN |
| <input type="checkbox"/> Voters Identity card number | <input type="checkbox"/> Passport number | <input type="checkbox"/> Driving license number |
| <input type="checkbox"/> e-mail ID/ Mobile | <input type="checkbox"/> Permanent residential address | <input type="checkbox"/> Present residential address |

Enter information that needs to be corrected. Enter only the relevant field(s)

3. Director's name (Enter full name and do not use abbreviations)

(a) First name

(b) Last name

(c) Middle name

4. Father's name (Even married women must give father's name)

(a) First name

(b) Last name

(c) Middle name

5. Whether a citizen of India Yes No

6. Nationality

7. Date of birth

(DD/MM/YYYY)

8. Gender

 Male Female

9. Income-tax permanent account number

Verify Income-tax PAN details

10. Voter's identity card number

11. Passport number

12. Driving license number

13 *Mobile

14. * e-mail ID

15. Permanent residential address

Line I

Line II

City

State

Pin code

ISO country code

Country

Phone

Fax

Photograph

(Attach a latest passport size photograph by clicking on above box) (Refer instruction kit for details)

Remove Photograph

16. Whether present residential address is same as permanent residential address Yes No

17. Present residential address

Line I

Line II

City

State Pin code

ISO country code

Country

Phone Fax

Certification

- It is hereby certified that the attached photograph and attached documents are of the director. It is further certified that all required attachments have been completely attached to this form.
- It is further certified that I have verified the above particulars of the director from the original documents of the director. I found them to be true and correct and are also in agreement with the attached documents.
- It is further certified that the director has given a verification in respect of the following and copy of verification by the director as per Annexure - 2 of the DIN rules has been attached -
 - the director is not restrained/ disqualified/ removed of, for being appointed as director of a company under the provisions of Companies Act, 1956 including Sections 203, 274, 284 and 388(E) of the said Act.
 - the director has not been declared as proclaimed offender by any Economic Offence Court or Judicial Magistrate Court or High Court or any other Court.
 - the director has no other allotted DIN other than DIN in which changes are intimated, under section 266B of the Companies Act, 1956.
- I have been duly authorised by the director to sign and submit this form.

Attachments

1. *Proof of change in particulars
2. *Copy of verification by the director as per Annexure - 2 of the DIN rules
3. Optional attachment(s) - if any

List of attachments

To be digitally signed by

*Category

In case of Chartered accountant or Company secretary or Cost accountant (in whole- time practice)

Membership number or certificate of practice number of Chartered accountant or Company secretary or Cost accountant (in whole- time practice)

Whether associate or fellow Associate Fellow

In case of secretary (who is member of ICSI) in wholetime employment of existing company with which director is associated

Membership number of the secretary in wholetime employment of existing company

Whether associate or fellow Associate Fellow

Corporate identity number (CIN) of company with which secretary and director is associated

Name of company

This eForm has been taken on record by the Central Government through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the person filing the form

Verification of director in case of Form DIN-4 as per Annexure- 2 of the DIN rules

I,(name of director), Son/Daughter* of
(director's father's name), born on(date of
 birth), resident of(present
 residential address of the director) hereby confirm and verify that the
 particulars given in the Form DIN-4 are true and correct and also are in
 agreement with the document being attached to the Form DIN-4.

- (i) I have applied for change* of:-
- a) Director Name (along with proof and in case of change of name a copy of Notification published in the Gazette)
 - b) Father's name (along with proof)
 - c) Nationality (along with proof)
 - d) Date of Birth (along with proof and in case of change in date of birth, copy of Notification published in the Gazette)
 - e) Gender (along with proof)
 - f) Income –Tax Permanent Account Number (along with proof)
 - g) Voters Identity Card Number (along with proof)
 - h) Passport Number (along with proof)
 - i) Driving License Number (along with proof)
 - j) Email ID/ Mobile (along with declaration)
 - k) Permanent residential address (along with proof)
 - l) Present residential address (along with proof)

I further confirm that

- (i) The photograph and document being attached to the Form DIN-4 belong to me. I further confirm that all required documents have been duly issued by the respective government authority and are being attached to the Form DIN-4 and
- (ii) I am not restrained/ disqualified/ removed of, for being appointed as director of a company under the provisions of Companies Act, 1956 including Section 203, 274, 284 and 388 (E) of the said Act and
- (iii) I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Offence Court or Judicial Magistrate Court or High Court or any other Court and
- (iv) I have no any other allotted Director Identification Number (DIN) other than DIN in which changes are intimated under Section 266B of the Companies Act, 1956.
- (v) Mr/ Ms CA/ CS/ CWA in practice has been authorised to digitally sign DIN application on my behalf.

*Note: Strike out whichever is not applicable.

Signature:
(Name)

[F. No. 2/1/2011-CL. V]

J. N. TIKKU, Jt. Director

Note : The Principal notification was published vide number G.S.R. 649(E) dated the 19th October, 2006 and last amended vide G.S.R. 258 (E) dated the 26th March, 2011

